NORTH CENTRAL RAILWAY
Railway Recruitment Cell
Prayagraj

Nawab Yusuf Road,
Balmiki Chauraha, Civil Lines,
Prayagraj- 211001
Phones (Rly):23953, 23957 & 23961
Tele Fax: 032-2223953, DOT: 0532-2561115

सीईएन आरआरसी–01/2019 (लेवल–01) के अन्तर्गत तृतीय चरण के दस्तावेज सत्यापन संबंधी महत्वपूर्ण सूचना

———

सीईएन आरआरसी–01/2019 के अंतर्गत शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के लिए शॉर्टलिस्टेड किये गये उम्मीदवारों की सूची आरआरबी/इलाहाबाद दिनांक 22.12.2022 को 17.08.2022 से 11.10.2022 तक की अवधि के दौरान आयोजित कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) में उनके प्रदर्शन के आधार पर घोषित की गई। 13202 अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) दिनांक 16.01.2023 से 02.02.2023 तक डीएसए ग्राउण्ड प्रयागराज में आयोजित किया गया।

केन्द्रीकृत रोजगार सूचना सं० आरआरसी 01/2019 के अन्तर्गत लेवल–1 के विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु उत्तर मध्य रेलवे के अन्तर्गत विज्ञापित रिक्तियों में शेष पदों एवं विभिन्न मंडलों/यूनिटों से प्राप्त प्रतिस्थापना पैनल के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु पीईटी क्वालीफाईड मैरिट अनुसार अभ्यर्थियों का तृतीय चरण के दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा परीक्षण **दिनांक 01.12.2023, 04.12.2023 एवं 05.12.2023** को रेल भर्ती प्रकोष्ठ, प्रयागराज कार्यालय में कराया जाना सुनिश्चित किया गया है।

1. अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण हेतु ई–कॉल लेटर रेल भर्ती प्रकोष्ठ, उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज की वेबसाइट www.rrcpryj.org पर शीघ्र ही डाउनलोड करने हेतु लिंक जारी किया जायेगा।
2. दस्तावेज एवं अभ्यर्थन सत्यापन हेतु बुलाये जा रहे अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वह ई–बुलावा पत्र में उल्लिखित निर्धारित तिथि एवं स्थान पर सत्यापन हेतु निम्न दस्तावेजों एवं प्रत्येक दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित छायाप्रतियों के दो सेट के साथ सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करें।

(क) जन्म तिथि और मैट्रिक योग्यता के प्रमाण पत्र के रूप में मैट्रिक/हाईस्कूल प्रमाणपत्र या समतुल्य प्रमाण पत्र। (आवेदन में दिए गए उम्मीदवार के नाम और पिता/माँ के नाम का सत्यापन इस प्रमाण में दिए गए नाम से किया जाएगा)।
(ख) एनसीवीटी/एनटीसी/एनएसी/एससीवीटी यथा लागू।
(ग) अनुलग्नक–I के अनुसार फार्मेट में अजा/अजजा प्रमाणपत्र
(घ) अनुलग्नक–II के अनुसार दिए गए फार्मेट में अ पि व –गैर–क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र।
(ड़) अनुलग्नक–IIक के अनुसार, अपिव उम्मीदवारो द्वारा गैर–क्रीमी लेयर की घोषणा।
(च) अनुलग्नक–III के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा शुल्क में छूट के लिए आय प्रमाणपत्र।
(छ) भूतपूर्व सैनिकों के लिए सेवा मुक्त करने का मूल प्रमाण पत्र।
(ज) आधार कार्ड के दोनों तरफ की फोटो कॉपी
(झ) अनुलग्नक V(क), V(ख), V(ग) यथा लागू, के अनुसार, दिव्यांगों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र।
(ञ) सेवारत कर्मचारियों के लिए नियुक्ति की तिथि से एन ओ सी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
(ट) सेवारत रक्षा कर्मियों के लिए सेवा मुक्त करने की संभावित तिथि के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र।
(ठ) अनुलग्नक–IV के अनुसार गैर–अदालती स्टांप पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा।
(ड) पैरा 1.7 के अनुसार नाम में औपचारिक बदलाव के मामले में सरकारी अधिसूचना

और/या कोई कानूनी दस्तावेज।

(ढ) एसबीआई शाखा में चालान द्वारा भुगतान करने के मामले में भुगतान की रसीद या कंप्यूटरीकृत डाक घर की पे–इन–स्लिप।

(ण) ट्रांसजैंडर उम्मीदवारों द्वारा स्व–प्रमाणन।

(त) जम्मू एवं कश्मीर डोमसाइल प्रमाणपत्र।

(द) सक्षम न्यायालय से तलाक/कानूनी वियोजन का आदेश (डिक्री) यथा लागू और शपथ पत्र की उम्मीदवार ने पुनर्विवाह नहीं किया है।

(ध) विधवा उम्मीदवार के मामले में पति की मृत्यु प्रमाण पत्र और शपथपत्र कि उम्मीदवार ने पुनर्विवाह नहीं किया है।

(न) यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी सिविल रोजगार के लिए कार्यभार प्राप्त करने से पूर्व विभिन्न रिक्तियों के प्रति आवेदन करता है तो उसे किसी भी अनुवर्ती रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के आरक्षण लाभ प्रदान किए जाएंगे परन्तु ऐसे भूतपूर्व सैनिक को सिविल रोजगार में कार्य भार ग्रहण करने पर आने संबंधित नियोक्ता के सम्मुख इस केन्द्रीकृत रोजगार सूचना के अंतर्गत किए गए आवेदन के विवरण के संबंध में घोषणा/वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा। सिविल नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित ऐसी घोषणा की पावती दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(प) पासपोर्ट आकार के चार फोटोग्राफ।

(फ) मूल आवेदन पत्र की एक प्रिंटेड प्रति।

(ब) CBT Online परीक्षा के ई–कॉल लेटर का नीचे का भाग।

(भ) शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) का बुलावा पत्र का नीचे का भाग।

दस्तावेज सत्यापन के समय अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

3. दस्तावेज सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षण हेतु रेल भर्ती प्रकोष्ठ, प्रयागराज द्वारा आवंटित उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, झाँसी में स्थित चिकित्सालयों में से किसी एक में रिपोर्ट करना होगा, अभ्यर्थियों को एक से अधिक दिन तक रूकना पड़ सकता है। अतः इन्हें इसके लिए विधिवत तैयार होकर आना चाहिए, इसके लिए कोई भी भत्ता अदा नहीं दिया जायेगा। उन्हें रहने, खाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। तिथि समय एवं स्थान में परिवर्तन हेतु किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. उल्लेखनीय है कि दस्तावेज सत्यापन मात्र चयन प्रक्रिया में एक चरण है। दस्तावेज के सत्यापन हेतु मात्र बुलाया जाना यह संकेत नहीं करता है कि उसका नाम अंतिम मेरिट सूची में भी होगा। विचार के दायरे से निष्कासन सहित मेरिट स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। भर्ती के किसी भी चरण में दिशा–निर्देशों/शर्तों/आवश्यक अर्हताओं को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
5. उपरोक्त निर्धारित कार्यक्रम को परिवर्तित अथवा पूर्ण तरीके से निरस्त करने का अधिकार रेल भर्ती प्रकोष्ठ, प्रयागराज अपने पास सुरक्षित रखता है।
6. यद्यपि परीक्षा परिणामों की तैयारी में सभी पूर्व सावधानियाँ बरती गई है, रेल भर्ती प्रकोष्ठ, प्रयागराज त्रुटियों तथा भूलों, यदि कोई हो, के सुधार हेतु अधिकार सुरक्षित रखता है। रेल भर्ती प्रकोष्ठ/प्रयागराज मुद्रण त्रुटियों हेतु जिम्मेदार नहीं होगा। रेल भर्ती प्रकोष्ठ, उत्तर मध्य रेलवे असफल अभ्यर्थियों से किसी प्रकार के पत्र व्यवहार के लिए अपनी असमर्थता व्यक्त करता है।
7. किसी कारणवश निर्धारित तिथि में उपस्थित न हो पाने वाले उम्मीदवारों को यदि रेल प्रशासन उनकी अनुपस्थिति के कारण को उचित समझता है तो ऐसे उम्मीदवारों को दिनांक **06.12.2023** दस्तावेज सत्यापन व चिकित्सा परीक्षण हेतु अंतिम मौका दिया जा

रहा है इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य मौका देय नहीं होगा एवं इस संबंध में कोई भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

8. चेतावनीः

– प्रभाव दिखाकर या अनुचित और अनैतिक साधनों के इस्तेमाल से रेलवे में नौकरी दिलाकर कपट करने वाले दलालों और नौकरी दिलाने वाले घोटालेबाजों से सावधान रहें। रेलवे ने इस हेतु किसी एजेंट या कोचिंग केंद्र की नियुक्ति नहीं की है। उम्मीदवारों को ऐसे व्यक्तियों/एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले दावों के बारे में सचेत किया जाता है। उम्मीदवारों का चयन पूर्णतः मेरिट के आधार पर होता है। अनैतिक तत्वों से सावधान रहें और उनके चंगुल में न फंसे। रेलवे भर्ती बोर्ड/रेल भर्ती प्रकोष्ठ को अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

– उम्मीदवारों को केवल रेलवे भर्ती बोर्ड/रेल भर्ती प्रकोष्ठ की आधिकारिक वेबसाइट से परामर्श लेने और अनैतिक तत्वों/दलालों द्वारा बनाई गई जाली वेबसाइटों से सावधान रहने की सलाह दी जाती है।

दिनांक : 23.11.2023

अध्यक्ष